रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3070] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941
No. 3070] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

आय-कर

का.आ. 3356(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194ढ के परंतुक के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, नकद पुन:पूर्ति अभिकरणों (सीआरए) और वाईट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएटीएमओ) के विशेषाधिकार अभिकर्ताओं को विनिर्दिष्ट करती है, जो एक पृथक बैंक खाता रखते हैं, जिससे केवल ऐसे डब्ल्यूएलएटीएमओ द्वारा संचालित ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में नकद पुन:पूर्ति के प्रयोजन के लिए निकासी की जाती है और डब्ल्यूएलएटीएमओ बैंक को प्रत्येक मास यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सीआरए और डब्ल्यूएलएटीएमओ के विशेषाधिकार अभिकर्ताओं के बैंक खाते का परीक्षण किया गया है और उनके बैंक खातों से निकाली जाने वाली रकम का डब्ल्यूएलएटीएमओ की एटीएम में नकद निक्षेप की रकम के साथ मिलान किया गया है।

2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 68/2019/फा. सं. 370142/12/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।